कार्यालय जिला पंचायत,अमेठी

पंत्राक: ——/निविदा /नि0अनु0/जि0पं0 / 2019-20 दिनांक 08.11.5.2019

ई–निविंदा सूचना

जिला पंचायत,अमेठी के समस्त पंजीकृत ठेकेदार/ अनुभवी राजकीय विभागों के पंजीकृत ठेकेदार जो वर्ष 2019–20 के लिये पंजीकृत हैं, जिनको शासनादेश संख्या 05/2019/ 2902/33–2–2019–198जी / 2018 , दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुसार प्रतिभाग करने के लिये सूचित किया जाता है कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी0पी0आर0सी0) के निर्माण कराये जाने हेतु ई– निविदा दिनांक 30.11.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक धनराशि http://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती हैं। सभी निविदा एवं शर्ते दिनांक 23.11.2019 से प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 30.11.2019 को अपरान्ह 01:00 बजे तक http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। जहां इन्हें डाउनलोड़ किया जा सकता है। उपरोक्त तिथियों व समय में ही ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित निविदा जो ऑनलाइन http://etender.up.nic.in पर ही सबमिट की जायेगी तथा दिनांक 19.11.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे ई–टेण्डर खोला जायेगा। निर्माण कार्यो के सापेक्ष शर्तो की विस्तृत जानकारी http://www.cszp.uppr.gov.in/home या कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	लागत (रू0 लाख रूपये में)	धरोहर धनराशि रूपया में	निविदा फार्म का मूल्य	कार्यपूर्ण करने की अवधि
1	गौरीगंज	जनपद अमेठी में जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी0पी0आर0सी0) की स्थापना कार्य	भवन निर्माण	208.10	416200	23307	18 माह

नोटः–

1. निविदाता प्रत्येक निविदा के साथ निविदा की धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य की धनराशि, पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्नैन कॉपी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने के साथ–साथ दिनांक 30.11.2019 को अपरान्ह 01:30 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला पंचायत,अमेठी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. कार्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात ही किया जायेगा।
3. शासन स्तर से समय–समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत/आदेश के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है, तो वह तत्काल नियमानुसार संशोधित/ निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदा की स्वीकृति/ अनुबन्ध धनराशि की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी।
5. कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. कार्य का निरीक्षण करने के उपरान्त गुणवत्तापूर्ण पाये जाने की दशा में भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
7. भूतत्व खनिखर्म विभाग एवं कर्मकार उपकर विभाग के दिशा–निर्देशों का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वर्तमान में अथवा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ठेकेदार से कटौती की जायेगी।

9. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अर्नह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

10. जिला पंचायत निर्माण नियमावली–1984 के अनुसार किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार जिला पंचायत,अमेठी में निहित होगा।

11. पंजीकृत ठेकेदार को पंजीयन/नवीनीकरण की प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

12. समस्त निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा को स्वीकार/ विचार नहीं किया जायेगा।

13. निविदा की विस्तृत जानकारी अभियंता जिला पंचायत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

(देवेन्द्र कुमार सिंह)
अभियंता
जिला पंचायत,अमेठी

(रवीन्द्र कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,अमेठी

शिवकली
(शिवकली)
अध्यक्ष
जिला पंचायत,अमेठी

पृष्ठांकन सं0 2068 (६)/निविदा /नि0अनु0/जि0पं0/ 2019–20 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी।
2. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत,अमेठी।
3. नाजिर विकास भवन,कलेक्ट्रेट,पी0डब्लू0डी0/जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ की उक्त ई–टेण्डरिंग सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
4. जिला पंचायत,अमेठी की राजकीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना http://amethi.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जनपद अमेठी को सादर सूचनार्थ।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व दैनिक समाचार पत्र सहारा जीवन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को कम से कम स्थान एवं अक्षरों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु आदेश की प्रति सहित प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,अमेठी